न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 44/2021

GCMS NO. : 2021/110

–:: सायलान ::–	बनाम	–:: गैरसायलान ::–
1. अमराराम पुत्र मंगलाराम 2. चिमनाराम पुत्र मंगलाराम 3. भुण्डाराम पुत्र बींजाराम 4. अम्बाराम पुत्र बींजाराम फौत के कायम मुकाम 4/1. समु देवी पत्नि अम्बाराम 5. मेन्दाराम पुत्र बींजाराम जातियान गुर्जर (चाड) निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. भैराराम पुत्र गोकलराम 2. हिराराम पुत्र गोकलराम जातियान गुर्जर (लिडिया) निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली। 3. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 20/09/2021

उपस्थित:. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुगनचन्द सतनामी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मोजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 1211 रकबा 3.9335 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम की आई हुई है। जिसमें सायलान का सम्पूर्ण का 7/12 वां हिस्सा व हक अधिकार आता है, इसी माफिक सायलान काबिज खातेदार काश्तकार है। यानि सायल समु देवी पत्नि अम्बाराम, मेन्दाराम व भूण्डाराम प्रत्येक का 7/72 वा हिस्सा है इसी प्रकार सायल अमराराम व चिमनाराम का 7/48 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबन्दी सवत 2073 से 2076 में दर्ज अनुसार आता है तथा शेष 5/12 वें हिस्से की भूमि [illegible] है। जिसकी चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। [illegible] भूमि में सायलान का कुल 7/12 वा हिस्सा है जिसमें प्रत्येक सायलान का राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

आता है। इसी प्रकार गैरसायलान के हिस्से भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार ही है एवं इन्ही हिस्सो माफिक सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 दिनांक 07. 12.1983 से मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा उक्त भूमि मौके पर दिनांक 07.12.1983 से ही अलग-अलग बंटी हुई है। कारण कि उक्त भूमि पूर्व में गैरसायल संख्या 01 व 02 एवं उनके भाई भंवरूराम के थी। जिस पर गैरसायल संख्या 01 व 02 एवं उनके भाई भंवरूराम ने अपनी जायज जरूरत हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से 7/12 वे हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचान के सायलान को बैचान करते हुये मौके पर सायलान को कब्जा भी सौप दिया था तथा उक्त वादग्रस्त भूमि आम रास्ते से चिपते हुये ही आई हुई है। लेकिन अब गैरसायलान की नियत खराब हो जाने से गैरसायलान इस आम रास्ते चिपते हुये ही सम्पूर्ण भूमि पर गैरसायल संख्या 01 व 02 अपने अकेले का ही कब्जा करना चाहते है व इसी नियत से गैरसायल संख्या 01 व 03 ने मौके पर पूरानी निर्मित माठ व पत्थरगढी को भी हटाते हुये विवाद किया है। इस प्रकार से पक्षकारों के बीच इस भूमि नाप-चौप, माठ व मौका स्थिति को लेकर विवाद भी हो रहा है। साथ ही गैरसायल संख्या 01 व 02 इस भूमि मे से सड़क के चिपते हुये विशिष्ट भू-भाग को अपना होना बताकर उस विशिष्ट भू-भाग को ही जरिये रहन, बैचान, वसियत के अन्य हस्तान्तरण करने को भी आमादा है जिससे भी पक्षकारों में इस भूमि के नाप-चौप बंटवाड़ा एवं मौका स्थिति को लेकर विवाद है। भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने की वजह से गैरसायल संख्या 01 व 02 आये दिन इस भूमि के नाप-चौप, सीमा व माठ को लेकर सायलान से विवाद कर रहे है। जबकि सायलान अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की इस भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहते है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहते है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 व 02 सहमत नहीं हो रहे है। इस वजह से सायलान इस विवादित भूमि के बाबत् गैरसायल संख्या 01 व 02 से इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडण्स के बंटवाड़ा करना चाह रहे है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 व 02 इसमें सहमत नहीं हो रहे है तथा दिनांक 25.07.2021 को सायलान ने गैरसायल संख्या 01 व 02 से कथन किया की इस भूमि के नाप-चोप व रास्ता की भूमि को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन गैरसायल संख्या 01 व 02 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गये है एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 ने सायलान को [illegible] कथन किया कि वह बंटवाड़ा नही करेगे। जिस पर सायलान के [illegible] बाबत् बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा [illegible] हेतु पेश करने के अलावा अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक सायलान विरूद्ध गैरसायल संख्या 01 व 02 के सादर पेश है। वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख दिनांक 07.12.1983 को सायलान द्वारा खरीद की जाकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया हुआ है जिसके अनुसार बैचान विलेख में सायल मेन्दाराम का सही नाम दर्ज है लेकिन कालान्तर में चौसाला जमाबन्दी बनाते समय गेमन्दाराम दर्ज हो गया जो कतई गलत होकर काबिल दुरुस्ती के है। सायल मेन्दाराम राजस्व रेकर्ड में चौसाला जमाबन्दी में गेमन्दाराम पुत्र बींजाराम की बजाय अपना सही नाम मेन्दाराम पुत्र बींजाराम दर्ज करवाने एवं इस आशय की घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार अम्बाराम पुत्र बींजाराम का देहान्त हो चुका है तथा इनके एक मात्र वारिस उनकी पत्नि समु देवी पत्नि अम्बाराम है। अम्बाराम का फौतेदगी म्यूटेशन भी अभी तक नही हुआ है। इसलिये सायला समुदेवी अपने पति अम्बाराम पुत्र बींजाराम की बजाय उनके विधिक उत्तराधिकारी के रूप में समु देवी पत्नि अम्बाराम दर्ज करवाने की अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। यदि उक्त गैरसायल जबरदस्ती सायलान की कब्जा सुदा भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायल संख्या 01 व 02 के पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार सायलान का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि मे से सायलान 7/12 वे हिस्से के रेकर्ड काबिज खातेदार काश्तकार है जिसका उपयोग उपभोग एक मात्र सायलान ही करते आ रहे है तथा इस भूमि पर सायलान को हक अधिकार प्राप्त है। यदि इस भूमि पर से बिना किसी हक व अधिकार के ही गैरसायलान सायलान को बेकाबिज कर बाधा व अड़चन पैदा करते है तथा सायलान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है तथा इस वादग्रस्त के विशिष्ट भू-भाग को बिना बंटवाड़ा करवाये ही अन्य हस्तान्तरण करते तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान इस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 1211 के की भूमि के 7/12 वे हिस्से की भूमि पर सायलान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायल संख्या [illegible] 02 स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार [illegible] व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन [illegible] साथ ही इस सामलाती के विशिष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

भू–भाग को जरिये रहन बैचान वसियत के अन्य हस्तान्तरण भी नही करे। ऐसे करने से गैरसायल संख्या 01 व 02 को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व आदेश बहक सायलान विरुद्ध गैरसायल संख्या 01 व 02 के जारी फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया में गैरसायलान की खातेदारी मय कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1211 कुल रकबा 24.6 बीघा आई हुई है। सायलान ने 7/12 हिस्से की जमीन का पंजियन अपने नाम से फर्जी तरीके से करवाया है। गैरसायलान ने अपनी जमीन का कभी बेचान नहीं किया है। गैरसायल की वंशावली अनुसार गोकल जी के फौत होने के पश्चात् उनके तीन पुत्र भंवरू, मेरा एवं हीरा के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया और भवरू फोत हो गया। भंवरू ने अपने हिस्से 1/3 का बेचान दिनांक 7/12/83 को अमराराम, चमनाराम पि. मंगलाराम तथा भूण्डाराम, अम्बाराम, मेन्दाराम पि. बीन्जाराम जातियान गुर्जर निवासीगण लाम्बीया को किया ऐसा गैरसायलान को पंजियन दस्तावेज लेने से ज्ञात हुआ है। जबकि गैरसायलान दिनांक–07/12/1983 वक्त पंजियन भैराराम की उम्र 16 वर्ष व हिराराम की उम्र 13 वर्ष थी जो नाबालिग थे जो किसी भी दस्तावेज का पंजियन नही करवा सकते, फर्जी पंजियन किया गया है अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायलान 1 व 2 का मौके पर कब्जा काश्त जरूर है लेकिन आपसी सहमती से जमीन का बन्ट अलग–अलग होना गलत है सायलान एवं गैरसायलान ने कभी भी आपसी सहमती से जमीन का बटवाड़ा नही किया गैरसायलान ही शुरू से लेकर आज तक मौके पर काबिज है। गैरसायलान द्वारा उक्त जमीन का कभी भी प्रजीबद्ध बैचान विलेख दिनांक –07/12/1983 को नही किया। सायलान ने फर्जीवाड़े से अन्य व्यक्तियों से फर्जी अंगुष्ठ निशान करवा कर पंजियन कराया। गैरसायलान उस वक्त नावालिग थे इसलिये तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायलान से सायलान ने कभी भी समझाईश नही की सायलान ने मिथ्या रूप से जमीन हड़पने की बदनियती को रखतें हुये यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है। समस्त तथ्यो एवं परिस्तथ्यों से सायलान का प्रथम दृष्टया मामला मजबुत नही है क्योकि उक्त भूमी पर सायलान का 7/12 हिस्सा कानूनी रूप से नही आता है इसलिये क्षतिपूर्ति या सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नही होकर गैरसायलान के पक्ष में तथा बटवाड़े के दावे में सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः श्रीमान् की सेवा में जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं उनके भाई भंवररूराम द्वारा दिनांक 07.12.1983 को अपने सम्पूर्ण 7/12 हिस्से की भूमि को जरिये पंजिबद्ध विक्रय विलेख प्रार्थीगण को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द करवा दिया तभी से प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। कालान्तर में भू-अभिलेख में क्रेता खातेदार मेन्दाराम के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से गेमन्दाराम दर्ज हो गया जिसे जरिये घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का व बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी है।

   अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रा.पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त जमीन फर्जीवाडा से विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवाया है तथा मौके पर बंटी हुई नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

   चुंकि भू-अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के सह-खातेदार है एवं वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह-खातेदारी भूमि है। लिहाजा किसी भी एक सह-खातेदार या केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला निहित होना नहीं माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति:-** प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष के मध्य हिस्से अनुसार बंटी हुई है लेकिन अप्राथीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से में जबरन दखलन्दाजी कर बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मौके पर बंटी हुई नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण ही मौके पर काबिज काश्त है।

   उपलब्ध भू-अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयप्क्ष की अविभाजित सह-खातेदारी भूमि है। जिस पर अपने हक-हिस्से तक प्रत्येक सह-खातेदार का भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता है। अतः केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता एवं प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि उन्हें किस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रकार अपूरणीय क्षति कारित है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू भली भाँति साबित नहीं होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण /वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 11:30:25 IST
Reason: SelfAttested